



रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

लाइसेंस सं० डब्ल्यू० पी०-41

(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेंट)

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 फरवरी, 1982

फाल्गुन 7, 1903 शक (संवत्)

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग--1

संख्या 725/सतह-वि०-1-(क)-1-82

लखनऊ, 26 फरवरी, 1982

### अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 25 फरवरी, 1982 ई० को, अनुमति, प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है—

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1982)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटोफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के तैतीसव वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) यह 24 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
13 सन् 1977  
की धारा 2 का  
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, मोटीफाइट एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां-जहां भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का  
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
35 सन् 1978  
की धारा 24 का  
संशोधन

4—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे।

निरसन और  
अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम या धारा 4 में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

भाज्ञा से,  
गंगा ब्रह्म सिंह,  
सचिव।

No. 725(2) /XVII—V-1-(Ka)-1-82

Dated Lucknow, February 26, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (Sanshodhan Adhiniyam, 1982) Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1982) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 25, 1982.

**THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS  
(AMENDMENT) ACT, 1982**

[U. P. ACT No. 8 OF 1982]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

to further amend the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977 and the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and  
commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 24, 1981.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, hereinafter referred to as the principal Act, for the word and figures "December 31, 1981" wherever occurring, the word and figures "December 31, 1982" shall be substituted.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 13 of 1977.

3. In section 3 of the principal Act, for the word and figures "December 31, 1981", the word and figures "December 31, 1982" shall be substituted.

Amendment of section 3.

4. In section 24 of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978, for the word and figures "December 31, 1981" the word and figures "December 31, 1982" shall be substituted.

Amendment of section 24 of U.P. Act no. 35 of 1978.

5. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Ordinance, 1981 is hereby repealed.

Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act or the Act referred to in section 4 as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Acts as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,  
G. B. SINGH,  
Sachiv.

Ordinance no. 30 of 1981.